

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क./बोर्ड/निर्माण/2018-19/ 1919

भोपाल, दिनांक:- 28-9-19

निविदा आमंत्रण सूचना (समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु)

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, 26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल द्वारा संलग्न सूची अनुसार मण्डी प्रांगणों में 160.00 वर्गमीटर के भू-खण्ड पर निर्मित शेड में दो टन प्रति घण्टा की क्षमता वाले ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंग प्लांट की स्थापना एवं संचालन हेतु इच्छुक निविदाकारों से दिनांक 17.10.2019 को सायं 05:30 बजे तक ऑनलाईन निविदाएं प्रति प्लांट की दर पर आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा प्रपत्र शासन की ऑन लाईन पॉर्टल mptenders.gov.in पर क्य किये जा सकते हैं।

सरल क्र०	मंडी समितियों के नाम	धरोहर राशि (रु.)	धरोहर राशि का प्रारूप	स्थापना की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु)
1	2	4	5	6	7
1	50 मंडी प्रांगणों में	बीस लाख	किसी भी अधिसूचित बैंक की स्थानीय शाखा की मियादी जमारसीद	3 माह (वर्षाकाल सहित)	25000/-

नोट: निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी मण्डीबोर्ड की बेवसाइट www.mpmmandiboard.gov.in पर देखी जा सकती है एवं बिना किसी भुगतान के डाउनलोड की जा सकती है।

-शर्तः-

1. निविदा से संबंधित सभी संशोधन मण्डी बोर्ड की बेवसाइट www.mpmmandiboard.gov.in पर जारी किए जायेंगे।
2. मंडी प्रांगणों की जानकारी कार्यायलीन समय में कार्यालय म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल एवं मंडी बोर्ड की बेवसाइट www.mpmmandiboard.gov.in पर देखी जा सकती है।

Shrey
अधीक्षण यंत्री
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल
क./बोर्ड/निर्माण/2018-19/ भोपाल, दिनांक:-
निविदा आमंत्रण सूचना(समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु)

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, 26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल द्वारा संलग्न सूची अनुसार मण्डी प्रांगणों में 160.00 वर्गमीटर के भू-खण्ड परनिर्मित शेड में दो टन प्रति घण्टा की क्षमता वाले ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंग प्लांट की स्थापना एवं संचालन हेतु इच्छुक निविदाकारों से दिनांक 17.10.2019 को सायं 05:30 बजे तक ऑनलाईन निविदाएं प्रति प्लांट की दर पर आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा प्रपत्र शासन की ऑन लाईन पॉर्टल mptenders.gov.in पर क्य किये जा सकते हैं।

टेंडर सिस्टम क्रमांक	मंडी समितियों के नाम	धरोहर राशि (रु.)	धरोहर राशि का प्रारूप	स्थापना की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु.)
1	2	4	5	6	7
2019_MPSAM_55132	50 मंडी प्रांगणों में	बीस लाख	किसी भी अधिसूचित बैंक की स्थानीय शाखा की मियादी जमा रसीद	3 माह (वर्षाकाल सहित)	25000/-

नोट: निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी मण्डीबोर्ड की बेवसाइट www.mpmmandiboard.gov.in पर देखी जा सकती है एवं बिना किसी भुगतान के डाउनलोड की जा सकती है।

-शर्तः-

- निविदा से संबंधित सभी संशोधन मण्डीबोर्ड की बेवसाइट www.mpmmandiboard.gov.in पर जारी किए जायेंगे।
- मंडी प्रांगणों की जानकारी कार्यायलीन समय में कार्यालय म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल एवं मंडी बोर्डकी बेवसाइट www.mpmmandiboard.gov.in पर देखी जा सकती है।

अधीक्षण यंत्री
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल
“निविदा आमंत्रण सूचना”

क./बोर्ड/निर्माण/2018-19/ भोपाल, दिनांक:-

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, 26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल द्वारा संलग्न सूची अनुसार मण्डी प्रांगणों में 160.00 वर्गमीटर के भू-खण्ड पर निर्मित शेड में दो टन प्रति घण्टा की क्षमता वाले ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंग प्लांटकी स्थापना एवं संचालन हेतु इच्छुक निविदाकारों से दिनांक 17.10.2019 को सायं 05:30 बजे तक ऑनलाईन निविदाएं प्रति प्लांट की दर पर आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा प्रपत्र शासन की ऑन लाईन पॉर्टल mptenders.gov.in पर क्रय किये जा सकते हैं।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी ऑनलाईन पॉर्टल

www.mpmandiboard.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।

सरल क्रं0	मंडी समितियों के नाम	धरोहर राशि (रु.)	धरोहर राशि का प्रारूप	स्थापना की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु.)
1	2	4	5	6	7
1	50 मंडी प्रांगणों की सूची संलग्न	बीस लाख	किसी भी अधिसूचित बैंक की स्थानीय शाखा की मियादी जमा रसीद	3 माह (वर्षाकाल सहित)	25000/-

-शर्त :-

- निविदा के सभी संशोधन पॉर्टल www.mandiboard.gov.in पर जारी किए जायेंगे।
- उपरोक्त विज्ञप्ति मंडी बोर्ड की वेबसाइट www.mandiboard.gov.in पर भी देखी जा सकती है।
- निविदा प्रपत्र की राशि का भुगतान ऑनलाईन किया जावेगा।
- मंडी प्रांगणों की जानकारी कार्यायलीन समय में कार्यालय म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की बेवसाइट www.mpmandiboard.gov.in पर देखी जा सकती है।
- निविदा से संबंधित तकनीकी अहर्ता से संबंधित अभिलेख/दस्तावेज निर्धारित समय 5:30 दिनांक 17.10.2019 तक मात्र स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत डाक से स्वीकार किये जावेंगे।
- पात्र निविदाकार की अहर्ताएं :-**
अ) निविदाकार व्यक्ति/फर्म का दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन होना आवश्यक है।

ब) निविदाकार को ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंग प्लांटकी स्थापना का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। इस संबंध में वैधानिक कॉन्सॉर्टियम (Consortium/Partnership) मान्य की जा सकती है।

स) निविदाकार का विगत तीन वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वित्त वर्ष में टर्न-ओवर कम से कम रूपये 06.00 करोड़ होना आवश्यक है।

7. निविदा प्रपत्र क्रय करने एवं अन्य दस्तावेजों सहित तकनीकी बिड की प्रस्तुतिएवंवित्तीय ऑफर खोलने का शेड्यूल परिशिष्ट-अ में दिया गया है।
8. तकनीकी बिड संबंधित अभिलेख / दस्तावेज उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में ही वित्तीय ऑफर का लिफाफा खोला जावेगा।
9. निविदा से संबंधित अन्य विस्तृत शर्ते कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, 26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल (मण्डी बोर्ड) के निर्माण शाखा में देखी जा सकती है।
10. निविदाकार द्वारा निविदा में सम्मिलित किसी भी अतिरिक्त शर्त पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार से पक्ष प्रचार वर्जित है एवं जो भी निविदाकार पक्ष प्रचार करते पाया जाएगा, उसकी निविदा निरस्त कर दी जायगी।
12. निविदा आमंत्रण की सभी शर्ते अनुबंध का भाग होंगी।
13. निश्चित समय के पश्चात् प्राप्त हुई निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

अधीक्षण यंत्री

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

कार्य का क्षेत्र

- 1- कृषकों, व्यापारियों एवं अन्य के हित एवं कल्याण हेतु विभिन्न संलग्न सूची अनुसारमंडी प्रांगणों में योजना के आधार पर दो टन प्रति घण्टा की क्षमता वाले ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंग प्लांट की स्थापना एवं संचालन किया जाना प्रस्तावित है।
- 2- कृषि उपज मंडी समिति निविदाकार को 160.00 वर्गमीटर के भू-खण्ड पर निर्मित शेड एवं अधौसंरचना उपलब्ध करायेगी।
- 3- भू-खण्ड, शेड एवं अधौसंरचनाओं के निर्माण की अवधि में निविदाकार को यह सुनिश्चित करने हेतु अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना होगा कि शेड एवं अधौसंरचनाओं का निर्माण कार्य प्लांट की आवश्यकता के अनुसार ही किया जा रहा है।
- 4- दो टन प्रति घण्टा की क्षमता वाले ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंग प्लांट का मेक एण्ड मॉडल स्पेसिफिकेशन्स के अनुरूप होना चाहिए।
- 5- निविदाकार द्वारा शेड में स्थापित किए जाने वाले प्लांट का तकनीकी निरीक्षण मंडी समिति एवं मंडी बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों द्वारा कराए जाने के पश्चात् ही प्लांट की स्थापना की जाएगी। उक्त निरीक्षण निविदाकार के द्वारा सूचना देने की तिथि से अधिकतम 15 दिवस में कराया जावेगा।
- 6- यदि किन्ही कारणों से प्लांट की स्थापना एवं उसके संचालन में विलंब होता है, तो आवेदन में वर्णित विलम्ब के कारण/कारणों से मंडी समिति संतुष्ट है, तो वह एक माह का अतिरिक्त समय दे सकती है, जिसकी सूचना मंडी बोर्ड, आंचलिक कार्यालय एवं मंडी बोर्ड, मुख्यालयको देना अनिवार्य होगा।
- 7- कृषि उपज मंडी समिति एवं मंडी बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाने के उपरान्त ही निविदाकार द्वारा प्लांट कोप्रारम्भ करना होगा, एवं साथ ही संचालन की प्रक्रिया हेतु मंडी सचिव द्वारा अधिकृतदो मंडी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना होगा। प्लांट का 03 वर्षतक का रखरखाव निविदाकार द्वारा किया जायेगा।
- 8- निविदाकार को प्लांट की स्थापना की अवधि में भारत सरकार, राज्य शासन, मंडी समिति एवं स्थानीय निकाय द्वारा बनाये गए संबंधित सभी अधिनियमों एवं नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 9- निविदाकार को प्लांट की स्थापना हेतु आवश्यकतानुसार बिजली एवं पानी की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करनी होगी। मण्डी समिति द्वारा सुविधा उपलब्ध कराने की स्थिति में नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क जमा कराना होगा।
- 10- प्लांट स्थापना उपरांतनिविदाकार द्वारा संचालन के लिये निर्मित शेड, समस्त अधौसंरचनाएँ एवं प्लांट चालू हालत में संबंधित मंडी समिति को हस्तांतरित करना

होंगे। हस्तांतरण केसमय निविदाकार द्वारा अदेय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11- भू-खण्ड, शेड एवं अधोसंरचना का उपयोग मात्र संबंधित कार्य हेतु ही किया जावेगा। राजनितिक, धार्मिक, सामाजिक या अन्य किसी भी प्रकार से उपयोग करना वर्जित होगा।

अधीक्षण यंत्री

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

1. निविदाकार को निविदा प्रपत्र का शेड्यूल(परिशिष्ट-अ) में दी गई समय सारणी का अनुपालन करना होगा।

निविदा प्रपत्र की अंतर्वस्तु(contents)

- i. निविदाकार का संगठनात्मक विवरण(परिशिष्ट-ब)
- ii. निविदाकार का शपथ पत्र (परिशिष्ट-स)
- iii. धरोहर राशि
- iv. टैक्नीकल बिड (परिशिष्ट-द)
- v. वित्तीय ऑफर (परिशिष्ट-ड)
- vi. अनबंध

प्री बिड मीटिंग

प्री बिड मीटिंग के स्थान, दिनांक एवं समय की सूचना निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट अ में निर्धारित शेड्यूल अनुसार रहेगी। यदि कोई परिवर्तन प्री बिड मीटिंग की तिथि एवं समय में होता है तो मंडीबोर्ड की बेवसाइट पर तदानुसार सूचना प्रकाशित की जावेगी। निविदाकारों द्वारा निविदा से संबंधित कोई भी पृच्छा या स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। प्री बिड मीटिंग का उद्देश्य निविदाकारों को निविदा से संबंधित सभी बिन्दुओं पर जानकारी उपलब्ध कराना है।

प्री बिड मीटिंग का कार्यवृत्त तैयार कर मंडीबोर्ड कीवेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। आवश्यकता होने पर निविदा की निर्धारित दिनांक को आगे बढ़ाया जा सकता है एवं निविदा प्रपत्र को मान्य सुझावों के अनुसार संशोधित भी किया जा सकता है।

निविदा तैयार कर भेजना

निविदाकार को तकनीकी अर्हिता/दस्तावेज निर्धारित समय में स्पीड पोस्ट/ रजिस्टर्ड डाक से भेजना अनिवार्य होगा । डाक विभाग की किसी भी गलती के लिये मंडी बोर्ड जवाब देय नहीं होगा ।

निविदा में सम्मिलित दस्तावेज़

निविदा से संबंधित समस्त अभिलेख/दस्तावेज, निविदाकार का संगठनात्मक विवरण एवं 100 रु0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र जिसमें निविदाकार को लेख करना होगा कि:-

1. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी सत्य है ।
2. निविदाकार काकोई नजदीकी रिश्तेदार मंडी बोर्ड/मंडी समिति में कार्यरत नहीं है ।
3. निविदाकार के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है ।

उपरोक्त दस्तावेज निर्धारित समय में कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र. रा. कृ.वि. बोर्ड, भोपाल में स्पीड पोस्ट/ रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त होना अनिवार्य होगा ।

निविदा की वैधता

निविदा की वैधता, निविदा प्राप्त करने के दिनांक से 90 दिन होगी, जो परस्पर सहमति से बढ़ायी जा सकेगी ।

निविदाओं को खोलने एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया

निविदाएंनिविदा प्रपत्र के शेड्यूल” में दी गई निर्धारित दिनांक एवं समय पर कार्यालय में खोली जाएंगी।तकनीकी बिड का परीक्षण ऑन लाईन प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्राप्तदस्तावेजोंकेआधार पर किया जावेगा। यदि परीक्षण में कोई कमी पाई जाती है तो टेक्नीकल बिड अस्वीकृत की जावेगी ततपश्चात केवल मानय टेक्नीकल बिड का ही मूल्यांकन किया जावेगा एवं टेक्नीकली क्वालीफाईड निविदाकारों के ही वित्तीय आफर खोले जावेंगे। तकनीकी बिड खोले जाने'के समय निविदाकार स्वयं अथवा उनका अधिकत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेगा।

वित्तीय ऑफर निविदा प्रपत्र के शेड्यूल में दिए गए निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जाएंगे।

सफल निविदाकार का चयन

वित्तीय ऑफर में उद्धृत राशि के आधार पर सफल निविदाकार का चयन किया जाएगा। सफल निविदाकार को पंजीकृत डाक द्वारा निविदा स्वीकृति पत्र जारी किया जावेगा जिसके तहत निविदाकार को पंद्रह दिन के भीतर नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1-क के अनुसार निर्धारित दर से स्टाम्पित होना अनिवार्य होगा। अनुबंध को नोटराईज्ड/पंजीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा एवं उपरोक्त प्रक्रिया का संपूर्ण व्यय सफल निविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा। यदि सफल निविदाकार द्वारा निश्चित अवधि में अनुबंध निष्पादित नहीं किया जाता है तो उसकी धरोहर राशि राजसात कर ली जाएगी तथा उसे निविदा के आगामी आमंत्रण में भाग लेने हेतु अयोग्य माना जाएगा।

अनुबंध का क्रियान्वयन

ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंग प्लांट की स्थापना हेतु शेड एवं अन्य अधौसंरचनाओं का आधिपत्य लेने के पूर्व ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंग प्लांट संचालक को,

(1) ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंग प्लांट की स्थापना एवं रखरखाव हेतु 5 प्रतिशत परफार्मेंस गॉरण्टी की राशि हेतु मियादी जमा रसीद, जो कम से कम न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि की हो, बनवानी होगी। मियादी जमा रसीद किसी भी अधिसूचितबैंक की स्थानीय शाखा की होगी जो लेखाधिकारीम.प्र.राज्य कृषि विषयन बोर्ड के नाम से देय होंगी।

यदि ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंगप्लांट संचालक द्वारा शेड एवं अन्य अधौसंरचनाओं का आधिपत्य लेने के पूर्व उपरोक्त राशियाँ जमा नहीं की जाती हैं तो उसकी धरोहर राशि राजसात कर ली जाएगी तथा उसे निविदा के आगामी आमंत्रण में भाग लेने हेतु अयोग्य माना जाएगा।

अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक को अधीक्षण यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल(म0प्र0) (इसके पश्चात् प्रथम पक्ष ‘नियोक्ता’ कहलायेगा) एवं मेसर्स
....., पता जिला संभाग
.....प्रदेश (इसके पश्चात् द्वितीय पक्ष “ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंग प्लांट संचालक” कहलायेगा, जिसमें उसके उत्तराधिकारी, हस्तांकिती एवं कानूनी वारिस शामिल होंगे) के मध्य निष्पादित किया जाता है।

“अनुबंध की विस्तृत शर्तें”

1. ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंग प्लांट संचालक को “ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंग प्लांट” स्थापना करने हेतु 160.00 वर्ग मीटर का भू-खण्ड उस पर निर्मित शेड एवं अधोसंरचना प्लांट स्थापनाहेतु उपलब्ध कराई जाएगी।
2. अनुबंध की अवधि भू-खण्ड, शेड एवं अधोसंरचना का आधिपत्य लेने के दिनांक से अधिकतम 03 वर्ष होगी। अनुबंधकर्ता/उभय पक्ष की सहमति से यह आगामी दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।
3. ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंग प्लांट की क्षमता दो टन प्रति घंटा होना चाहिए।
4. तीन वर्ष की परफार्मेंस सिक्यूरिटी की राशिलेखाधिकारी, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के नाम देय जमा मियादी रसीद वैध गांरटी के रूप में जमा करना होगी।
5. संबंधित मण्डी प्रांगण के अनुमोदित ले-आउट प्लान में चिह्नित भूमि पर ही प्लांट स्थापित करना होगा।
6. भू-खण्ड पर शेड एवं अधोसंरचनाओं के निर्माण की अवधि में ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंगप्लांट संचालक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना होगा जो यह सुनिश्चित कर सके कि निर्माण कार्य प्लांट की आवश्यकता के अनुसार किये जा रहे हैं।
7. ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंगप्लांट की स्थापना का कार्य ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंग प्लांट संचालक द्वारा भारतीय मानक संस्थान के अद्यतन संशोधित आई. एस. कोड एवं आई. सी. ए. आर. द्वारा अनुमोदित व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कराया जावेगा।

8. ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंगप्लांट संचालक को ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंगप्लांट, शेड एवं अधौसंरचना का आधिपत्य देने के दिनांक से तीन माह की अवधि में स्थापित कर प्रारम्भ करना होगा। यदि यथोचित कारणों से प्लांट के संचालन में विलंब होता है एवं मंडी समिति/मंडी बोर्ड विलंब के कारणों से संतुष्ट है तो एक माह का अतिरिक्त समय दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।
9. यदि अतिरिक्त समय में भी ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंगप्लांट संचालक, प्लांट की स्थापना में असफल रहता है तो उसका अनुबंध निरस्त कर परफ़ार्मेस सिक्यूरिटी की राशि राजसात की जावेगी।
10. कृषि उपज मंडी समिति एवं मंडी बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाने के उपरान्त ही ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंग प्लांट संचालक द्वारा प्लांट का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त निरीक्षण निविदाकार के द्वारा सूचना देने की तिथि से अधिकतम एक माह में कराया जावेगा।
11. ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंग प्लांट की स्थापना पर होने वाले संपूर्ण व्यय का वहन ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंग प्लांट संचालक द्वारा किया जावेगा।
12. ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंग प्लांट संचालक पर कांट्रेक्ट एक्ट, मण्डी अधिनियम, उपविधि के प्रावधानों के साथ—साथ राज्य शासन एवं भारत सरकार के संबंधित अधिनियम, नियम एवं समय—समय पर जारी किए गए परिपत्र/संशोधन परिपत्र/निर्देश बंधनकारी होंगे एवं उनका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
13. तीन वर्ष के दोरान ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंग प्लांट में संचालन के दौरान कोई तकनीकी खराबी आती है तो संचालक द्वारा उसे अविलंब ठीक कराना होगा। यदि आवश्यक होता है तो तकनीकी खराबी ठीक कराने के पश्चात् एवं ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंग प्लांट संचालन करने के पूर्व मंडी समिति/मंडी बोर्ड के संबंधित अधिकारी से निरीक्षण कराना आवश्यक होगा। संबंधित अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट की मूल प्रति मंडी समिति के कार्यालय में जमा करनी होगी।
14. यदि ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंग प्लांट संचालक निर्धारित वार्षिक अनुज्ञाप्ति फ़ीस की राशि निविदा अवधि हेतु संपूर्ण राशि एक मुश्त जमा कराता है तो उसे निर्धारित अनुज्ञाप्ति फ़ीस की राशि में 50% (पचास प्रतिशत) की छूट की पात्रता होगी।

अपवाद

तीन वर्ष की अवधि का बंधन ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंगप्लांट संचालक की अकस्मात् मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता पर लागू नहीं होगा।

15. ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंग प्लांट संचालक द्वारा ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंगप्लांट स्थापनामें अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में सचिव,कृषि उपज मण्डी समिति,ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंग प्लांट संचालक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विषयन बोर्ड भोपाल,द्वारा अधिरोपित पेनाल्टी बंधनकारी होगी एवं ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंग प्लांट संचालक को अधिरोपित पेनाल्टी की राशि पारित आदेश के दिनांक से सात दिन के भीतर जमा करनी होगी।
16. विवाद की स्थिति में प्रकरण के निराकरण हेतु माध्यस्थ और सुलह अधिनियम,1996 के अंतर्गत प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य कृषि विषयन बोर्ड भोपाल, एकमात्र मध्यस्थ (Sole Arbitrator) होंगे, जिनका विनिश्चय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा।
17. न्यायालयीन वाद—विवाद की स्थिति में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में न्यायालयीन क्षेत्र संबंधित कृषि उपज मण्डी समिति का जिला न्यायालय तथा मण्डी बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में न्यायालयीन क्षेत्र जिला न्यायालय भोपाल होगा।
18. निविदा प्रपत्र के सभी प्रावधान अनुबंध का भाग होंगे।

दिनांकित हस्ताक्षरसचिव
कृषि उपज मण्डी समिति.....
जिला.....
संभाग.....

दिनांकित हस्ताक्षरअध्यक्ष /भारसाधक
अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति.....
जिला.....
संभाग.....

दिनांकित हस्ताक्षर ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंग प्लांट संचालक

परिशिष्ट—अ

निविदा प्रपत्र का शेड्यूल

सं. क्र.	विभागीय स्तर पर	निविदाकार स्तर पर	दिनांक	समय
1	निविदा प्रपत्र का क्रय	—	28.09.19	17:30
2	प्री बिड मीटिंग	दिनांक 05.10.2019 समय 15:00 स्थान. म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल. मोबाईल...9425426174		
3	निविदा प्रपत्र क्रय करने की प्रारंभिक दिनांक	—	28.09.19	17:30
4	निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम दिनांक	—	11.10.19	17:30
5	—	भौतिक रूप से तकनीकी बिड प्राप्त करनेकी अंतिम दिनांक	17.10.19	17:30
6	—	निविदा प्रस्तुति	17.10.19	17:30
7	तकनीकी बिड खोलने का दिनांक	—	18.10.19	14:30
8	वित्तीय ऑफर खोलने का दिनांक		21.10.19	11:30

अधीक्षण यंत्री
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

परिशिष्ट—“ब”

अनु क्रमांक	निविदाकार का विवरण	निविदाकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी
अ) निविदाकार का संगठनात्मक विवरण		
1.	निविदाकार (व्यक्ति / फर्म/ संस्था/ सहकारी संस्था / कॉन्सार्टियम/ पार्टनरशिप) का नाम जिसे निविदा प्रपत्र जारी किया गया	
2.	निविदाकार का दुकान स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक,दिनांक एवं वैधता	
3.	निविदाकार की एन्टिटी (प्रोपराइटी/ पार्टनरशिप / लिमिटेड कंपनी)	
4.	श्रम आयुक्त से प्राप्त लायसेंस क्रमांक,दिनांक एवं वैधता	
5.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से प्राप्त पंजीयन क्रमांक, दिनांक एवं वैधता	
6.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त पंजीयन क्रमांक, दिनांक एवं वैधता	
7.	गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स रजिस्ट्रेशन क्रमांक,दिनांक एवं वैधता	
8.	परमानेट एकाउन्ट नम्बर (PAN)	
9.	टैक्स डिडक्षन एण्ड कलैक्शनएकाउन्ट नम्बर (TAN)	
10.	निविदाकार के बैंक खाते का विवरण (बैंक का नाम,शाखा का नाम,खाता संख्या, आई.एफ.एस. सी.कोड इत्यादि)	
11.	चल / अचल सम्पत्ति का प्रमाण सहित विवरण	
12.	पत्र व्यवहार हेतु डाक का पता (Postal Address)	
13.	एस टी डी कोड सहित फोन नंबर	
14.	मोबाइल नंबर	
15.	ई—मेल आई डी	
16.	पदाधिकारियों की सूची	
17.	जमा की गयी धरोहर राशि का विवरण	T.D.R. क्रमांक दिनांक.....

अनुक्रमांक	निविदाकार का विवरण	निविदाकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी
		राशि (रु.)..... बैंक एवं शाखा का नाम..... शाखा का नाम.....
18.	अन्य जानकारी जो निविदाकार आवश्यक समझे	
ब) निविदाकार यदि मंडी अनुज्ञप्तिधारी है		
1.	प्रथम अनुज्ञप्ति का वर्ष एवं क्रमांक	
2.	अनुज्ञप्ति की वैधता	दिनांक.....तक
3.	जमा किया गया मंडी शुल्क का विवरण	
4.	यदि व्यतिक्रमी है तो उसका विवरण	
स.) प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण(यदि कोई हो)		
1	नाम	
2	पद	
3	पत्र व्यवहार हेतु डाक का पता (Postal Address)	
4	एस टी डी कोड सहित फोन नंबर	
5	मोबाइल नंबर	
6	ई-मेल आई डी	
7	पावर आफ अटार्नी की स्व-प्रमाणित प्रति	

नोट

- यदि निविदाकारपार्टनरशिप या लिमिटेड कंपनी है तो पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एण्ड मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एवं कंपनी का पंजीयन प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा।
- उपरोक्त तालिका में वर्णित सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी।

निविदाकार/प्राधिकृत प्रतिनिधि के सील सहित दिनांकित हस्ताक्षर

परिशिष्ट—“स”

शपथ पत्र (रूपये 100.00 के नॉन न्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं /हम शपथ पूर्थक कथन करता हूँ/करते हैं:

1. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की सभी शर्तों को पढ़कर समझ लिया गया है। मंडी द्वारा प्रस्तावित भू—खण्ड का निरीक्षण कर लिया गया है। इसके उपरान्त मेरे/हमारे द्वारा वित्तीय आफर दिया गया है। यदि मंडी समिति “ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंगप्लांट (दो टन प्रति घण्टा)” रथापना हेतु मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत करती है तो निर्धारित सभी शर्तों का मेरे/हमारे द्वारा पालन किया जाएगा।
2. मेरे/हमारे भागीदार/भागीदारों में से किसी की भी, कृषि उपज मंडी समिति एवं मण्डी बोर्ड में किसी भी संबंधित कार्यरत अधिकारी (अधिकारियों) / कर्मचारी / (कर्मचारियों) से, कोई भी रिश्तेदारी नहीं है।
3. मेरे/हमारे द्वारा जो भी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, वे सब मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्यता पर आधारित हैं।

निविदाकार/प्राधिकृत प्रतिनिधि के
सील सहित दिनांकित हस्ताक्षर

प्रपत्र—द
टैक्निकल बिड

अनुक्रमांक	विवरण	निविदाकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी
1.	‘दो टन प्रति घण्टा की क्षमता वाले “ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंगप्लांट” अथवा समरूप प्लांट की स्थापना एवं संचालन हेतु विगत तीन वर्षों के अनुभव का सप्रमाण विवरण
2.	आई.एस.ओ. एवं आई.सी.ए.आर. या अन्य प्रमाणपत्र की वैधता
3.	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित विगत तीन वित्तीय वर्ष का वार्षिक टर्न—ओवर (विगत तीन वित्तीय वर्ष में से किसी भी एक वित्त वर्ष में टर्न—ओवर कम से कम रूपये 06.00 करोड़ होना आवश्यक है)
4.	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित विगत तीन वित्तीय वर्ष की बैलेन्स शीट एवं आडिट रिपोर्ट
5.	प्रस्तावितं दो टन प्रति घण्टा की क्षमता वाले “ ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम बैगिंगप्लांट का मेक एवं मॉडल विवरण सहित	
6.	कृषकों के हित एवं कल्याण हेतु किए गए कार्यों का सप्रमाण विवरण	
7.	कार्य से संबंधित अन्य विवरण	
8.	अन्य जानकारी जो निविदाकार आवश्यक समझे	

नोट— सभी दस्तावेजों की सूची पृष्ठ क्रमांक सहित टैक्निकल बिड के साथ अपलोड की जावे। यदि कोई निविदाकार उपरोक्तानुसार दस्तावेज अपलोड नहीं करेगा तो उसकी टैक्निकल बिड पर विचार नहीं किया जाएगा।

निविदाकार/प्राधिकृत प्रतिनिधि के सील सहित दिनांकित हस्ताक्षर

परिषिष्ठ 'ड'

वित्तीय ऑफर(ऑन लाईन)

मैं/हम कृषि उपज मार्डी में “दो टन प्रति घाटा की क्षमता वाले ग्रेडिंग कम क्लीनिंग कम वैगिंगलांट” की स्थापना एवं 03 वर्ष तक संचालन हेतु राशि रूपये(अंकों में) (शब्दों में रु.....)का ऑफर देता हूँ। लांट के स्थापना एवं स्खरखाब हेतु निविदा प्रपत्र में दी गई शर्तें मैंने/हासे मढ़ ली हैं एवं समझ लेने के पश्चात् ही यह ऑफर दिया है।

निविदाकार/प्राधिकृत प्रतिनिधि के सील सहित दिनांकित हस्ताक्षर